सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— **श्री अंशुल सिंह, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: 114/2019 दायर दिनाँक 24.04.2019

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. रामनिवास पुत्र नारायणराम 2. गणेशाराम पुत्र नारायणराम समस्त जाति जाट निवासी गावडियों की ढाणी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. नारायणराम पुत्र नाथुराम 2. जेठी देवी पत्नी नारायणराम समस्त जाति जाट निवासीगण गावडियों की ढाणी तहसील डीडवाना, जिला—नागौर राजस्थान। 3. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

उपस्थित:—

1. श्री चेनाराम थौरी वकील वादीगण।
2. श्री अशोक भाकर वकील प्रतिवादी

दिनाँक 10.02.2020

—:: **निर्णय** ::—

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, प्रतिवादी सं0 01 नारायणराम के पैत्रिक खातेदारी के खेत खसरा सं0 374 रकबा 0.55 हैक्टयर, खसरा सं0 379 रकबा 5.18 हैक्टयर वाके सरहद ग्राम बुडौद व खसरा सं0 14 रकबा 2.88 हैक्टयर, खसरा सं0 58 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा सं0 64 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा सं0 65 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा सं0 81 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा सं0 82 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा सं0 83 रकबा 3.66 हैक्टयर वाके सरहद गावडियों की ढाणी में अवस्थित है।

प्रतिवादी सं0 01 नारायणराम के तीन जायन्दा पुत्र है तथा कोई जायन्दा पुत्री नहीं है। प्रतिवादी सं0 01 नारायणराम ने वादीगण रामनिवास व गणेशाराम को आज से करीब 20 वर्ष पूर्व ही अलग कर दिया था तथा अलग—अलग ही कमाते खाते है। प्रतिवादी ने वादीगण को जब अलग किया तब अपनी पैत्रक भूमि का अपने जीवन काल में ही मौखिक रूप से बंटवारा कर दिया था।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 114/2019
दायर दिनाँक 24.04.2019, निर्णय दिनाँक 10.02.2020
रामनिवास बनाम नारायणराम, वगैरा।

वादी रामनिवास के बंट में वाके सरहद बुडौद में अवस्थित खेत खसरा सं0 374 रकबा 0.55 हैक्टयर सम्पूर्ण तथा खसरा सं0 379 रकबा 5.18 हैक्टयर में से 1.7266 हैक्टयर पश्चिमी हिस्सा तथा वादी रामनिवास के चिपते पूर्व दिशा में खसरा सं0 379 में से 1.7266 हैक्टयर वादी सं0 02 गणेशाराम के तथा खसरा सं0 379 में से पूर्व दिशा का हिस्सा 1.7266 हैक्टयर प्रतिवादी सं0 01 ने अपने पास रखा जो वादीगण के भाई नानूराम का हिस्सा व कब्जा काश्त का है। वाके सरहद गावंडियों की ढाणी में अवस्थित खेतों में से वादी रामनिवास के बंट व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा सं0 14 में से पश्चिमी दिशा 0.96 हैक्टयर तथा इसके चिपते ही पूर्व दिशा में 0.96 हैक्टयर वादी सं0 02 गणेशाराम तथा पूर्व दिशा में अवस्थित 0.96 हैक्टयर प्रतिवादी सं0 01 नारायणराम ने अपने पास रखा है। खसरा सं0 58 में से पश्चिमी दिशा 0.0166 हैक्टयर वादी रामनिवास तथा रामनिवास के चिपते ही पूर्व दिशा 0.0166 हैक्टयर वादी गणेशाराम तथा गणेशाराम के चिपते ही पूर्व दिशा में 0.0166 हैक्टयर प्रतिवादी नारायणराम के बंट व कब्जा काश्त की रहेगी। खसरा सं0 64 में से पश्चिमी दिशा में 0.0366 हैक्टयर वादी रामनिवास तथा रामनिवास के चिपते ही पूर्व दिशा में 0.0366 हैक्टयर वादी गणेशाराम तथा गणेशाराम के चिपते ही पूर्व दिशा में 0.0366 हैक्टयर प्रतिवादी नारायणराम के बंट व कब्जे की भूमि है। खसरा सं0 65 में से पश्चिम दिशा में 0.0166 हैक्टयर वादी रामनिवास तथा रामनिवास के चिपते ही पूर्व दिशा मे 0.0166 हैक्टयर वादी गणेशाराम तथा इससे पूर्व दिशामें 0.0166 हैक्टयर प्रतिवादी नारायणराम के बंट व कब्जे की भूमि है। खसरा सं0 81 में से पश्चिम दिशामें 0.01 हैक्टयर वादी रामनिवास तथा रामनिवास के चिपते ही पूर्व दिशा में 0.01 हैक्टयर वादी गणेशाराम व गणेशाराम के चिपते ही पूर्व दिशा में 0.01 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी नारायणराम के बंट व कब्जा काश्त की है। खसरा सं0 82 में से 0.01 हैक्टयर पश्चिमी दिशा में वादी रामनिवास तथा उसके चिपते ही पूर्व दिशा में 0.01 हैक्टयर वादी गणेशाराम व उसके चिपते ही पूर्व दिशा में 0.01 हैक्टयर प्रतिवादी नारायणराम के बंट व कब्जा काश्त की है। खसरा सं0 83 में से 1.22 हैक्टयर पश्चिमी दिशा में वादी रामनिवास तथा उसके चिपते ही 1.22

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 114/2019
दायर दिनाँक 24.04.2019, निर्णय दिनाँक 10.02.2020
रामनिवास बनाम नारायणराम, वगैरा।

हैक्टयर वादी गणेशाराम व इससे पूर्व में 1.22 हैक्टयर प्रतिवादी नारायणराम के बंट व कब्जा की है। इसी अनुरूप पक्षकारान का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

वादीगण के पिता प्रतिवादी सं0 01 ने अपने जीवन काल में ही आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व वादीगण को अपने–अपने हिस्से की भूमि 1/3–1/3 भाग मौखिक बंट में देकर अलग कर दिया था तथा 1/3 भाग की भूमि अपने पास रखी वह भूमि वादीगण के भाई नानूराम की रहेगी। नानूराम वर्तमान में प्रतिवादी सं0 01 नारायणराम के साथ ही रह रहा है। भविष्य में उक्त 1/3 भाग की भूमि पर वादीगण का कोई हक अधिकार नहीं होगा। वादीगण के पिता के स्वर्गवास के पश्चात जो प्रतिवादी सं0 01 के हक अधिकार व कब्जा काश्त की भूमि है वह सम्पूर्ण भूमि वादीगण के भाई नानूराम की रहेगी।

प्रार्थना वादी है कि उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमियों का बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाकर 1/3 भाग की खातेदारी वादी सं0 01 रामनिवास तथा 1/3 भाग की खातेदारी वादी सं0 02 गणेशाराम तथा 1/3 भाग की भूमि प्रतिवादी सं0 01 नारायणराम के नाम घोषित की जाकर इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश फरमावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तरफ से इकबालियां जवाब पेश हुआ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में इकबालिया जवाब पेश हो चुका है। अतः वाद विवेचन दावा स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री कर वाके सरहद बुडौद के खेत खसरा सं0 374 रकबा 0.55 हैक्टयर, खसरा सं0 379 रकबा 5.18 हैक्टयर व वाके सरहद गांवडियों की ढाणी के खसरा सं0 14 रकबा 2.88 हैक्टयर, खसरा सं0 58 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा सं0 64 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा सं0 65 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा सं0

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 114/2019
दायर दिनाँक 24.04.2019, निर्णय दिनाँक 10.02.2020
रामनिवास बनाम नारायणराम, वगैरा।

81 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा सं0 82 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा सं0 83 रकबा 3.66 हैक्टयर की खातेदारी संलग्न नजरी नक्शा अनुसार 1/3 भाग वादी रामनिवास, 1/3 भाग वादी गणेशाराम व 1/3 भाग प्रतिवादी नारायणराम के घोषित की जाती है। प्रतिवादी नारायणराम के हक हिस्से में आई भूमि प्रतिवादी नारायणराम के स्वर्गवास के पश्चात वादीगण के भाई नानूराम के हक हिस्से में रहेगी जिसमें वादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं होगा। नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **10.02.2020** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री अंशुल सिंह, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 114/2019 दायर दिनाँक 24.04.2019

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. रामनिवास पुत्र नारायणराम 2. गणेशाराम पुत्र नारायणराम समस्त जाति जाट निवासी गावडियों की ढाणी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. नारायणराम पुत्र नाथुराम 2. जेठी देवी पत्नी नारायणराम समस्त जाति जाट निवासीगण गावडियों की ढाणी तहसील डीडवाना, जिला—नागौर राजस्थान। 3. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 10.02.2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री चेनाराम थौरी वकील वादीगण व श्री अशोक कुमार भाकर वकील प्रतिवादी सं0 01 व 02 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, वाके सरहद बुडौद के खेत खसरा सं0 374 रकबा 0.55 हैक्टयर, खसरा सं0 379 रकबा 5.18 हैक्टयर व वाके सरहद गांवडियों की ढाणी के खसरा सं0 14 रकबा 2.88 हैक्टयर, खसरा सं0 58 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा सं0 64 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा सं0 65 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा सं0 81 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा सं0 82 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा सं0 83 रकबा 3.66 हैक्टयर की खातेदारी संलग्न नजरी नक्शा अनुसार 1/3 भाग वादी रामनिवास, 1/3 भाग वादी गणेशाराम व 1/3 भाग प्रतिवादी नारायणराम के घोषित की जाती है। प्रतिवादी नारायणराम के हक हिस्से में आई भूमि प्रतिवादी नारायणराम के स्वर्गवास के पश्चात वादीगण के भाई नानूराम के हक हिस्से में रहेगी जिसमें वादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं होगा। नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.....................—.....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्ब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 10.02.2020 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.03.03 13:25:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: